यालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

ना –पत्र नम्बर 08/2024

ना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

राज सिंह पुत्र श्री नानक सिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम

प्रार्थी

रघुवीर सिह पुत्र श्री करनैल सिह जाति जटसिख निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी।
मोहन लाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी।
रमेश कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी।
महेन्द्र कुमार
राजेन्द्र कुमार
दिनेश कुमार
पुत्रगण श्री गुलाबराम पुत्र श्री श्योजीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाला तह.टिब्बी।
तहसीलदार राजस्व संगरयिा।

–:आदेश:–

अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नाम चक 16 एफटीपी खाता संख्या 278/202 में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 (जमाबन्दी 078) (वर्ष 2022) में कुल खाता में से 1.107 है. कृषि भूमि दर्ज़ राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी मौका र काबिज हैं। जिसमे आने–जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थी अपनी आराजी में सही ढ़ंग से काश्त नहीं कर सकता प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने/काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 16 एफटीपी पं.नं. 175/247 मु.नं. 36 किला नं. 5/1 व 5/2 व इसी चक के प.न. 175/247 के मु.न. 36 के किला नं. 4 मे से पत्थर लाईन के साथ चिपता पूर्व से पश्चिम में 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन/काश्त कर सके।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के अभिभाषक की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 416 दिनांक 29.07.2024 द्वारा प्रार्थी के पास कोई स्थाई रास्ता नही है। प्रार्थी अपने पडौसी काश्तकारों के खेतों मे से होते हुए अपने खेत में जाता है। प.न. 175/247 मु.न. 36 के किला नं. 5,6,15,16,25 मे दर्ज 0.025 है.प्र. गै.मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज़ है। उक्त गै.मु. रास्ता के किलानं. 5 में रास्ते के मध्य बेरी के पेड के नीचे एक छोटा देवस्थल (मंदिर) बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा प.न. 175/247 मु.न. 36 के किला नं. 4 व 5 मे से रास्ते की मांग की गई है जबकि प्रार्थी के खेत से निकटतम रास्ता प.न. 175/247 मु.न. 36 के किला न. 14 व 15 भी समान दूरी पर स्थित है एवं प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के ना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण ा गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 16 एफटीपी में त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र र्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 16 एफटीपी के प.न. 175/247 मु.न. 36 न. 4 व 5 की दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 स में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज र जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की ाति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा वें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 14.2.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास ुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया